

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/8029/

जबलपुर, दिनांक 10/12/2021

श्री सरनाम सिंह बघेल, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर संलग्न जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल को दिनांक 12.05.2021 से 22.05.2021 तक 11 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि बिना सूचना/आवेदन पत्र के अनाधिकृत रूप से कार्यालय में अनुपस्थित न रहें तथा बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर न जावे अन्यथा आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

सही/-


(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक B/8030/
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 10/12/2021

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.),
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्री सरनाम सिंह बघेल, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर संलग्न जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
H